



फाईल सं. 5-5/नीलामी/2024-25/ 543

दिनांक: 21/05/2024

शुद्धि पत्र

केन्द्र द्वारा पत्र संख्या एफ-5-5/नीलामी/2024-25/425 दिनांक 13 मई, 2024 के माध्यम से जलाऊ लकड़ी एवं सूखे नीम के पेड़ों की नीलामी हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुक्रम में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों को भी एतद्वारा उक्त में शामिल किया जाता है:-

- 1- जलाऊ लकड़ी एवं सूखे नीम के पेड़ों की नीलामी वन विभाग, उत्तर प्रदेश नियम एवं शर्तों के आधार पर की जायेगी।
- 2- संबंधित क्रेता द्वारा प्रश्नगत पत्रों का पातन किये जाने के उपरान्त दस गुना फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किये जाने हेतु प्रति पौधा रुपये 100/- अथवा 3x10x100= Rs. 3000/- के राष्ट्रीय बचत पत्र जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिकी वानिकी प्रभाग, मेरठ के पदनाम से बंधक हों, वन विभाग में प्रस्तुत करने होंगे। संबंधित क्रेता द्वारा दस गुना पौधे रोपित ना किये जाने की दशा में उक्त धनराशि को वन विभाग द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
- 3- संबंधित क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ के कार्यालय से नियमानुसार पातन/अभिवहन अनुज्ञा प्राप्त करना होगा।

नीलामी हेतु अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।


प्रभारी

वितरण:-

- 1- ग्राम प्रधान मछरी, चिरोड़ी, पबरसा, सुरानी, पाबली।
- 2- सूचना पट्ट, मोदीपुरम, पाबली, सी0ब्लॉक, मछरी प्रक्षेत्र।
- 3- प्रभारी ए0के0एम0यू0सैल, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला को संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।